कार्यकारी सार

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी का प्रारूप (मॉडल)

संचार बाजार में उत्कृष्ट तकनीक एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1999 में नई दूरसंचार नीति (एनटीपी–99) की शुरूआत की। नई दूरसंचार नीति–1999 ने राजस्व साझेदारी पद्धति की शुरूआत की। इस पद्धति में दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के कुछ प्रतिशत हिस्से को लाइसेंस फीस के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। मोबाइल ऑपरेटरों को भी उनको आंबटित रेडियों फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एसयूसी) का भुगतान करना होता था। दूरसंचार क्षेत्र में आई धीमी गति को दूर करने एवं वित्तिय रूप से मजबूर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सहायता करने के लिए उनको बेलआउट पैकेज का आफर दिया गया। सभी मौजूदा सेवा प्रदाताओं को नई दूरसंचार नीति–1994 (एनटीपी–1994) की निश्चित लाइसेंस फीस पद्धति से नई राजस्व साझेदारी पद्धति में आने की अनुमति दी गई। सभी लाइसेंसधारियों ने बेलआउट पैकेज को स्वीकार किया तथा नई पद्धति में शामिल हो गए। वर्ष 2001 में नई लाइसेंस शर्ते तैयार की गई। इन शर्तों में लाइसेंस फीस के भुगतान एवं एजीआर की गणना के लिए नियम एवं शर्ते तथा लाइसेंस कम्पनियों के राजस्व को परिभाषित किया गया।

2. निजी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा भुगतान किए गए राजस्व साझेदारी की तथ्यता पर नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का मूलाधार

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा भारत सरकार के साथ साझा किया गया राजस्व लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के रूप में भारत की समेकित निधि में शामिल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 एवं नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के भाग 13, 16 एवं 18 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण एवं सही साझेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2002 में सरकार द्वारा जारी ''भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखे की किताब का अनुरक्षण और अन्य दस्तावेज) नियम 2002'' में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित सभी लेखाकरण अभिलेखों एवं कागजातों का जिसमें सेवा प्रदाता का सकल राजस्व है भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सत्यापन कराने का प्रावधान है। चूंकि राजस्व साझेधारी की शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदाता के सकल राजस्व (जी आर) की शुद्धता से जुड़ी है, इसलिए सभी सेवा प्रदाताओं के लेखाकरण अभिलेखों की जॉच यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य थी कि सरकार को देय राजस्व को सही प्रकार से दर्ज किया गया था। फलस्वरूप प्रथम चरण में छः बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किए गए राजस्व का लेखापरीक्षा सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 के लिए चार वर्षों के लेखा को आच्छादी करते हुए लेखापरीक्षा तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष सभी सेवा प्रदाताओं की इसी प्रकार की लेखापरीक्षा करना शामिल था।

3. प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में दस अध्याय एवं अनुलग्नक है। अध्याय 1 दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी प्रणाली की उत्पत्ति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, इसके साथ–साथ यह अध्याय सेवा प्रदाताओं के साथ लाइसेंस समझौतों के माध्यम से अपना राजस्व एवं राजस्व साझेधारी के भुगतान का उल्लेख करने वाली सरकार द्वारा अनुबंधित महत्वपूर्ण शर्तों को भी प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में दूरसंचार विभाग में लाइसेंस

फीस एवं एसयूसी को इकट्ठा करने की व्यवस्था एवं उनका अन्तिम निर्धारण करना बताया गया है। अध्याय 2 लेखापरीक्षा के प्रथम चरण में शामिल ऑपरेटरों को चुनने के लिए लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं कारणों की व्याख्या करता है। निजी सेवा प्रदाता वार (पीएसपी) लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन अध्याय 3 से 8 में किया गया है। अध्याय 9 नियत्रंक संचार लेखा (सी सी ए) के कार्यालयों में कटौतियों के सत्यापन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। अध्याय 10 दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस फीस एवं एसयूसी के निर्धारण पर लेखापरीक्षा कथनों को शामिल करता है।

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

(i) सभी निजी सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा अपने वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके जीआर/एजीआर को कम करके बताया

निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाजियों की नियुक्ति करते है तथा उनकों कमीशन/रियायतों का भुगतान करते है। सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं में वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेचाजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके दूरसंचार विभाग को बताऐ गए जीआर/एजीआर को कम किया है। तथापि अलग–अलग दूरसंचार प्रदाताओं ने इन सभी लेन–देन को विभिन्न तरीकों से लेखा में शामिल किया है। जबकि एयरटेल एवं टाटा टेली सर्विसज लिमिटेड (टीटीएसएल) ने कमीशन/रियायत इत्यादि की राशि को राजस्व में नामें प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में बुक किया है, वही दूसरी ओर रिलायंस एवं एयरसेल ने अपने आप रियायतों/कमीशन को छोड़ने (नेटिंग आफ) के बाद राजस्व को बुक किया है। वोडाफोन एवं आइडिया के विभिन्न सेवा क्षेत्रों (एलएसए) ने उपरोक्त तरीकों में से किसी एक का प्रयोग कर राजस्व को लेखा में शामिल किया है जबकि टाटा टेलीसर्विसज महाराष्ट्र लिमिटेड (टीटीएमएल) ने राजस्व को व्यय के रूप में बुक किया है। भारत सरकार के साथ राजस्व साझैदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर की रिपोर्टिंग हेतु राजस्व को छोड़ देना अथवा कम कर देना लाइसेंस समझौते के विरूद्ध है क्योकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाजियों को भुगतान किया गया कमीशन/रियायत व्यापार व्यय प्रकृति के (विपणन व्यय) है। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व से छोड़ी गयी रियायत/कमीशन की निकाली गई राशि ₹ 5672.65 करोड़ आई है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 487.09 करोड़ एवं ₹ 203.38 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.1 क, 4.2.1, 5.2.2 क, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.5, 6.2.1 क, 7.2.1, 7.2.4, 8.2.3)

(ii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी सवर्द्धन योजनाओं की राशि को शामिल न करके जीआर/एजीआर को कम करके बताया

यूएएसएल अनुबन्ध में टैरिफ को परिभाषित किया गया है। निजी सेवा प्रदाता भारत दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को तिमाही टैरिफ योजनाऐं प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निजी सेवा प्रदाता विभिन्न अवसरों पर अपने प्रीपेड ग्राहकों को फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम (एफटीटी/एफएटी) जेसे अलग–अलग आफर उपलब्ध करातें है। आधारभूत रूप से ये विभिन्न नाम से सवर्द्धन योजनाऐं है, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत टेरिफ प्लान के अलावा है।

यूएएसएल अनुबंधों में प्रावधान है कि सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जाएगा तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने सवर्द्धन योजनाओं (प्रमोशनल आफर्स) को राजस्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है तथा

उन्होंने अपने लेखो की किताब में इनकों अलग तरीके से लेखांकित किया है। एयरटेल, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल के लेखो की किताब में ग्राहकों को दिए गए सवर्द्धन फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि की लेखापरीक्षा द्वारा पहचान की जा सकी क्योकि इस राशि को राजस्व शीर्ष के अंतर्गत नामे प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में लेखांकित किया गया था। रिलाइस के लेखो की किताब से इस प्रकार की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योकि रिलाइस ने सवर्द्धन फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि को वित्तीय प्रणाली एवं लेखा की किताबो में दर्शाऐ बिना ही तकनीकी प्रणाली (मिडिएशन लेवल) से स्वतः ही निकाल दिया है। वोडाफोन के संबंध में, इसको अलग नहीं किया जा सका क्योकि कंपनी ने प्रीपेड एवं पोस्डपेड दोनों सेवाओं पर इन सवर्द्धन आफरों को एक लेखा में शामिल किया है। भारत सरकार के साथ राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर हेतु इन आफरों को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए क्योकि यूएएसएल अनुबंधों के अनुसार ऐसे सवर्द्धन आफर व्यापार व्यय की प्रकृति के होते है। लेखापरीक्षा ने इस प्रकरण में जीआर/एजीआर में ₹ 8960.81 करोड़ की कम आंकने की राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 784.28 करोड़ एवं ₹ 271.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.1 ख, 4.2.2, 4.2.4, 5.2.1, 6.2.1 ख, 7.2.2, 8.2.1)

(iii) पोस्डपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जीआर/एजीआर को कम दर्शाया

लेखापरीक्षा ने पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल 1 द्वारा पोस्डपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को उनके राजस्व से घटा दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत टैरिफ प्लान पर पोस्डपेड़ ग्राहकों को दी गई ऐसी रियायत/वेवर व्यापार व्यय की प्रकृति का होता है तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर को बताने हेतु राजस्व से इनको घटाना लाइसेंस अनुबंधों के अनुरूप नहीं है। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 1622.18 करोड़ की कम राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 148.94 करोड़ एवं ₹ 66.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.2, 4.2.7, 6.2.2, 7.2.3, 8.2.1 अ)

(iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जीआर/एजीआर को कम बताया

निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था है। यह देखा गया है कि एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया ने इन ऑपरेटरों के लेखा में भुगतान/जमा किए गए इन्टर ऑपरेटर ट्रेफिक (आईओटी) छूट को रोमिंग राजस्व से निकाला/घटा दिया गया। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था होना दोनों ऑपरेटरों के बीच आपसी अनुबंध का मामला है तथा रोमिंग के लिए तय प्रभारों पर दी जा रही छूट दोनों ऑपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने वाली सम्पूर्ण व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के है। और इसलिये लाइसेंस अनुबंध के शर्तों के अनुसार ये राजस्व से कटौति नहीं की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 437.02 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 41.41 करोड़ एवं ₹ 18.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.3, 4.2.3, 6.2.3)

(v) अवसंरचना की भागीदारी से राजस्व को घटाकर जीआर/एजीआर को कम बताया

यूएएसएल अनुबंधों में प्रावधान है कि जीआर में, अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होगा। निजी सेवा प्रदाताओं ने अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी पेसिव अवसंरचना (पेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर) की भागीदारी के लिए व्यवस्था रखी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से राजस्व में नहीं लिया गया इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यय में जमा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व भागीदारी हेतु जीआर/एजीआर की गणना के लिए अवसंरचना भागीदारी से राजस्व को कम बताया गया है। लेखापरीक्षा को जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 1175.45 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 101.60 करोड़ एवं ₹ 46.36 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.4, 4.2.5,6.2.4, 7.2.5, 8.2.5)

(vi) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फोरेक्स लाभ के कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।

जीआर की परिभाषा के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरूआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया है तथापि, बाद में सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा फोरेक्स लाभ को आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 2095.86 करोड़ के फोरेक्स लाभ (रिलाइज्ड) की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 174.48 करोड़ एवं ₹ 51.19 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.5, 4.2.6, 5.3.1, 6.2.7, 7.2.6, 8.2.6)

(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरूआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है। फिर भी, बाद में छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा ब्याज से प्राप्त आय को आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 6299.90 करोड़ की ब्याज से प्राप्त आय की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 535.23 करोड़ एवं ₹ 204.32 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.1, 4.3.1, 5.3.2, 6.3.1, 7.3.1, 8.2.7)

(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, रिलाइस, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए निवेशों से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल नही किया है। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 3111.45 करोड़ की निवेशों से प्राप्त आय की राशि निकाली जिसके शामिल न करने के परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 271.70 करोड़ एवं ₹ 93.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.3, 5.3.4, 6.3.2, 7.3.2, 8.2.8)

(ix) अपनी सहायक कम्पनी के साथ व्यवस्था द्वारा रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) द्वारा जी आर/ए जी आर को कम बताना।

आरसीएल यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस) लाइसेंसधारी है। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 के दौरान ''ए'' इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आइएसपी) लाइसेंसधारी कम्पनी रिलाइस कम्यूनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) आरसीएल की सहायक कम्पनी रही थी। आरसीएल एवं आरसीआईएल ने अनुबंध किए जिनके अंतर्गत आरसीआईएल को आरसीएल के उत्पादों का विक्रय/विपणन करना तथा आरसीएल के ग्राहकों को मूल्य वर्द्धित सेवाऐ (वी ए एस) उपलब्ध कराना शामिल था। आरसीएल एवं आरसीआईएल के बीच अनुबंधों के परिणामस्वरूप, मूल्य वर्द्धित सेवाओं (वी ए एस) से प्राप्त राजस्व को आरसीआईएल के लेखा बही में शामिल किया गया तथा कुल राजस्व का केवल एक भाग आरसीएल को दिया गया। हैंडसेटों, सिम कार्डों के विक्रय से अर्जित राजस्व एवं ग्राहकों से प्राप्त इस्टालेशन प्रभार को भी आरसीआईएल के लेखा में दर्ज किया गया, जबकि यह राजस्व आरसीएल की लेखा बही में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इस राजस्व को आरसीआईएल के खाता बही में शामिल किया गया था, जबकि यूएएसएल अनुबंध के अनुसार यह आरसीएल का राजस्व होना चाहिए था। फलस्वरूप आरसीएल ने सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की सही राशि का भुगतान नहीं किया। आरसीएल ने अपनी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के साथ ऐसी व्यवस्था के कारण ₹ 4424.12 करोड़ की राशि आई को अपनी जीआर/एजीआर में कम बताया। लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 405.08 करोड़ एवं ₹ 114.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 5.2.2 बी से 5.2.2 एफ)

(x) स्थिर सम्पत्ति की बिक्री से लाभ और विविध राजस्व के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया गया।

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि जीआर में अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होगें। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच निजी सेवा प्रदाताओं (एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल) ने शुरूआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ विविध आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है। फिर भी, बाद में इन निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर विविध

आय/लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया। लेखापरीक्षा जीआर/एजीआर में ₹ 640.76 करोड़ की ऐसी आय को कम करने/शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 54.99 करोड़ एवं ₹ 20.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.8, 3.3.9,4.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 7.3.3, 8.2.9, 8.2.10)

(xi) जी आर में अमान्य कटौतियों के दावों के कारण ए जी आर को कम बताया गया

यूएएसएल अनुबंधों में विशिष्ट कटौती का प्रावधान है कि जिससे जी आर से ए जी आर निकाला जा सकता है इसके अनुसार लीज लाईन चार्जेज एवं पोर्ट चार्जेज में कटौती मान्य नहीं है। फिर भी, एयरटेल ने वर्ष 2006–07 में लीज लाईन चार्जेज एवं टाटा ने वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 में लीज लाईन चार्जेज एवं पोर्ट चार्जेज की कटौती के लिए दावा किया। ऐसी अयोग्य कटौतियों की राशि ₹ 669.76 करोड़ निकलती है तथा इसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 58.86 करोड़ एवं ₹ 22.43 करोड़ आया।

(पैरा 3.4.2, 7.4.2)

(xii) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया गया

बट्टे खातें में शामिल अप्राप्य ऋणों को एजीआर निकालने के लिए जीआर से कटौती दावा मान्य नहीं है। फिर भी निजी सेवा प्रदाताओं (एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल) ने एजीआर निकालने के लिए जीआर से बट्टे खातें में शामिल अप्राप्य ऋणों की कटौती का दावा किया है। ऐसी अयोग्य कटौतियों की राशि ₹ 1068.80 करोड़ निकलती है तथा इसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 101.10 करोड़ एवं ₹ 40.15 करोड़, का कम भुगतान आया।

(पैरा 3.4.1, 4.4, 6.4.1, 7.4.1, 8.3.1)

(xiii) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना

यूएएसएल अनुबंधों के संदर्भ में, बैडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एसयूसी की गणना करने के लिए एजीआर को लिये विचार में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि वायलेस सेवाओं के अतिरिक्त वायरलाइन सेवाऐं उपलब्ध कराने वाली कम्पनियॉं भारती, रिलाइंस एवं टाटा ने एसयूसी की गणना करने के लिए बैडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एजीआर में शामिल नही किया है, जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली निजी सेवा प्रदाताओं ने इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया है। एसयूसी की गणना करने के लिए एजीआर ने शामिल नहीं की गई राजस्व की राशि ₹ 3092.14 करोड़ निकलती है तथा इसके प्रभाव से एसयूसी का ₹ 89.41 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.4.3, 5.4.1, 7.4.3)

(xiv) पी एस पी द्वारा कटौतियों के दावों के सत्यापन में नियंत्रक संचार लेखाओं में समरूपता नहीं

यू ए एस एल अनुबंध स्पष्ट रूप से बताता है कि ए जी आर को निकालने के लिये जी आर से कटौती होना है जिसमें भारत के भीतर अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) से संबंधित काल प्रभार (एक्सेस चार्जिज), अन्य पात्र/

हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में दिया गया रोमिंग राजस्व तथा सेवा प्रदान करने पर सेवा कर एवं बिक्री कर जो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया है यदि जी आर को बिक्री कर एवं सेवा कर के घटक के रूप में शामिल किया गया था शामिल है। निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2006–07 से दावा की गई कटौतियों के सत्यापन का कार्य नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) को सौंपा गया तथा सत्यापन कार्य के पूर्ण होने पर, नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) ने ''सत्यापन प्रतिवेदन'' के माध्यम से अपने निष्कर्षों को दूरसंचार विभाग के लाइसेंस फीस विंग तक पहुचाया है। दूरसंचार विभाग ने कटौतियों के सत्यापन के लिए नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) को अनेक निर्देश जारी किए है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत कटौती के दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करते समय संचार लेखा के नियत्रंकों (सी सी ए) के बीच एकरूपता नहीं थी। कटौती के दावों के सत्यापन के लिए नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) एवं एक ही नियंत्रक संचार लेखा के (सी सी ए) के बीच भी विभिन्न मुद्दों पर विसंगतियॉ देखी गई। यह देखा गया कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के उचित अनुवीक्षण के अभाव/नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के भीतर समन्वय में दूरसंचार विभाग की असफलता के कारण विभिन्न ऑपरेटरों के लिए अलग–अलग मानदण्डों को अपनाया गया। यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में दावा की गई कटौतियों की सम्पूर्ण राशि को नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) ने बिना किसी औचित्य के अस्वीकृत किया है। बहु–परिचालक परिदृश्य में, अन्य ऑपरेटरों को एक्सेस चार्जेज का भुगतान करना वास्तविकता है तथा बिना किसी औचित्य के नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा दावा की गई कटौतियों की सम्पूर्ण/पर्याप्त राशि की अस्वीकृति न्यायसंगत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों को भुगतान की गई रोमिंग कटौतियों की अस्वीकृति से संबंधित दूरसंचार विभाग के निर्देश भी न्यायसंगत नहीं है।

(पैरा 9.3, 10.2.6)

(xv) दू सं वि द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के निर्धारण में विसंगतियां तथा अपीलीय तंत्र की गैर मौजूदगी के कारण मुकदमेबाजी की संख्या में अधिवृद्धि

दूरसंचार विभाग की लाइसेंस फीस विंग लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षित एजीआर विवरणियॉ, निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत समन्वय विवरणियॉ एवं नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर लाइसेंस फीस का निर्धारण करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि दूरसंचार विभाग ने कम्पनी (वोडाफोन) के जीआर का निर्धारण करते समय वोडाफोन द्वारा अनावृत की गई राजस्व की निश्चित मदों को अनदेखा किया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 के लिए राजस्व की मांग करते समय एयरटेल द्वारा बताई गई राजस्व की निश्चित मदों को अन्य लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के बीच इसको बॉटने के बजाये केवल दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में शामिल किया गया।

दूरसंचार विभाग की लाइसेंस फीस विंग द्वारा जीआर के अन्तिम निर्धारण के आधार पर, दूरसंचार विभाग का बेतार (वायरलेस) वित्त प्रभाग एसयूसी का निर्धारण करता है, फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि दूरसंचार विभाग के इन दोनों विंग में समन्वय की कमी है। यद्यपि दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्रित संचार राजस्व, भारत सरकार के कुल गैर–कर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान देता है, फिर भी दूरसंचार विभाग में अपील करने के लिए कोई तंत्र (मेकेनिज्म) मौजूद नहीं है। विभाग में ऐसा कोई अपीलीय तंत्र न होने के कारण निजी सेवा प्रदाताओं की मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मॉगों पर वर्षों तक कोई भुगतान नहीं हुआ।

(पैरा 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7)

5. लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	89.79	119.59	138.39	59.93	57.08	22.31
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभीदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री ऐयर टाइम को राजस्व के लिये नहीं पहचाना गया।	90.27	18.45	*	57.62	591.82	26.12
पोस्डपेड ग्राहकों को प्रदत्त बेवरस/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	104.54	0.63	-	17.80	25.97	
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	15.62	23.07	-	2.72	-	-
हटाया गया (नेटिड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	19.30	46.90	-	27.69	2.26	5.45
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	17.46	14.19	107.63	4.45	29.52	1.23
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	28.51	250.73	153.44	44.59	51.22	6.74
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	42.45	-	7.30	33.36	187.69	0.90
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में राजस्व दर्ज किया	-	-	405.08	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	8.85	19.45	-	2.24	14.52	9.93
लीज लाइन/पोर्ट चार्जेज के किये गये दावों के कारण अयोग्य कटौती	28.03	-	-	-	30.83	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये बेड डेब्टस के कारण अयोग्य कटौती	25.55	29.55	-	16.89	26.64	2.47
अन्य मुद्दे	249.09	-	313.56	22.70	1.61	0.65
कुल	**719.46**	**522.56**	**1125.40**	**289.99**	**1019.16**	**75.80**

* वित्तीय प्रणाली में पकड़ा नहीं गया, स्वयं द्वारा मेडियेशन स्तर पर हटाया गया।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एसयूसी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से राजस्व को हटाया गया (नेटेड ऑफ)	45.40	53.30	47.95	29.74	17.35	9.64
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओ को दिये गये प्रमोशनल फ्रि ऐयर टाइम को राजस्व के लिये नहीं पहचाना गया	44.29	9.27	*	25.82	180.19	11.72
पोस्डपेड ग्राहकों को प्रदत्त बेवरस/छूट राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	49.65	0.31	-	8.37	8.33	
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	7.22	10.23	-	1.21	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	9.08	21.02	-	13.35	0.65	2.26
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	6.74	6.12	26.93	2.00	9.09	0.31
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	11.80	105.30	48.56	20.47	15.53	2.66
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	17.45	-	3.94	14.49	56.95	0.37
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में राजस्व बुक किया	-	-	114.86	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	2.57	8.72	-	1.01	4.48	3.66
लीज लाइन/पोर्ट चार्जेज के किये गये दावों कारण अयोग्य कटौती	12.63	-	-	-	9.80	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये बेड डेब्टस के किये गये दावों के कारण अयोग्य कटौती	11.44	13.02	-	7.03	7.61	1.05
ए जी आर में एल एफ के लिये राजस्व में शामिल किया परन्तु एस यू सी के लिये नहीं	20.70	-	40.66	-	28.05	-
अन्य मुद्दे	108.52	-	98.95	9.78	0.49	0.14
कुल	**347.49**	**227.29**	**381.85**	**133.27**	**338.52**	**31.81**

***** वित्तीय प्रणाली में पकड़ा नहीं गया, स्वयं द्वारा मीडिएशेन स्तर पर हटाया गया।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उन पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है।

	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल	कुल
लाइसेंस फीस	719.46	522.56	1125.40	289.99	1019.16	75.80	3752.37
एस यू सी	347.49	227.29	381.85	133.27	338.52	31.81	1460.23
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी)	1066.95	749.85	1507.25	423.26	1357.68	107.61	5212.60
ब्याज	1584.94	915.54	2221.29	541.63	1857.71	155.22	7276.33
कुल योग (लाइसेंस फीस + एस यू सी+ब्याज)	**2651.89**	**1665.39**	**3728.54**	**964.89**	**3215.39**	**262.83**	**12488.93**

इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा छह निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन ने संकेत दिया कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिए ₹ 46069.69 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया। वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिए छह निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) पर देय लाइसेंस फीस (₹ 3752.37 करोड़), एस यू सी (₹ 1460.23 करोड़) एंव ब्याज (₹ 7276.33 करोड़) का कम/गैर भुगतान कम/नहीं होने के कारण भारत सरकार ₹ 12488.93 करोड़ के कुल राजस्व से वंचित रही।

6. सिफारिशों का सारांश

(i) यह देखा गया कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के स्तर पर कटौती दावों के सत्यापन को एक समान तरीके से नहीं किया गया तथा नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) ने निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा प्रस्तुत कटौती दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में अलग–अलग दृष्टिकोण लिया है। कटौती दावों के सत्यापन के लिए नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के बीच में विभिन्न मुद्दों पर विसंगतियाँ देखी गई तथा नियंत्रकों संचार लेखा के (सी सी ए) के भीतर भी यह देखा गया कि दूरसंचार विभाग द्वारा नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) की उचित निगरानी के अभाव/नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के भी समन्वय में असफलता के कारण विभिन्न ऑपरेटरों के लिए अलग–अलग मानदण्डों का प्रयोग किया गया। अतः यह सिफारिश की जाती है कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) स्तर पर कटौती दावों के एकसमान/योजनाबद्व सत्यापन के लिए दूरसंचार विभाग को नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) पर उचित निगरानी रखना आवश्यक है। दूरसंचार विभाग को भी अपना आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रकों संचार लेखा द्वारा कटौतियों के सत्यापन की जाँच नियमित रूप से हो।

(ii) जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख है, यद्यपि दूरसंचार विभाग ने समय–समय पर लाइसेंस फीस एवं एस यू सी की दरों को संशोधित किया था, फिर भी विवादों/मुकदमेबाजी के बाजजूद जी आर/ए जी आर की परिभाषा की समीक्षा नहीं की गई। यह सिफारिश की जाती है कि जी आर/ए जी आर की परिभाषा का दोबारा अवलोकन करना चाहिए। इस अवलोकन में परिदृश्य में 1999 से हुए प्रबल परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए जब स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक रूप से आवंटन को वर्तमान समय में नीलामी द्वारा आवंटित किया गया जिसमें निजी सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के समय एक बार भुगतान के रूप

में आवश्यक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

(iii) दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई मांगों पर मुकदमेबाजी की संख्या कम करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांगों पर निजी सेवा प्रदाताओं एवं दूरसंचार विभाग के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अपीलीय तंत्र स्थापित होना चाहिए। ऑपरेटरों के साथ विवादों को सुलझाने के लिए दूरसंचार विभाग के भीतर अपीलीय/सुधार तंत्र के अभाव से भी मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्वि होती है।

7. लेखापरीक्षा कथनो पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाण कागजातों के सत्यापन एवं दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम मूल्यांकन के लिए नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) के विभिन्न कार्यालयों में अपनाई गई प्रक्रिया पर निष्कर्षों के साथ साथ निजी सेवा प्रदाताओं के परिसर पर लेखाकरण अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत, छह चुनिंदा निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को मई, 2015 से नवम्बर, 2015 की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग को बताया गया। एयरटेल, वोडाफोन एवं रिलाइंस पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया जनवरी, 2016 में प्राप्त हुई।

वर्ष 2009 में की गई विशेष लेखापरीक्षा में प्रतिवेदन पर आधारित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दूरसंचार विभाग ने अपने उत्तर में वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के लिए वर्ष 2012 में सभी तीन निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) पर मांगे उठाई। ये लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रीपेड एवं पोस्ट पेड राजस्वों से संबंधित व्यय को हटा देना, अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक डिसकाउंट से रोमिंग राजस्व को हटा देना, अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व को पूर्ण रूप से समावेशित न करना, फोरेक्स लाभ से राजस्व/आय को समावेशित न करना, ब्याज, निवेश का विक्रय पर लाभ के कारण जी आर/ए जी आर को कम बताए जाने से संबंधित थे। फिर भी निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) ने इन मांगों को टी डी एस ए टी/उच्च न्यायालयों में चुनौती दी तथा न्यायालय का अंतिम निर्णय आने पर तदनुसार कार्रवाई की गई। यह भी कहा गया कि कुछ लाईसेंसधारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 19 (1) (जी) का उल्लंधन मानते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 के भाग–4 को चुनौती देने वाली समादेश याचिकाएं विभिन्न हाई कोर्टों में दायर की। वे लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनको विशेष लेखापरीक्षा में न बताकर, इस प्रतिवेदन में सामने लाया गया, के संबंध में, यह कहा गया कि इन प्रेक्षणों पर निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के उत्तरों का निरीक्षण जारी है।

सामान्य रूप से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दूरसंचार विभाग ने माना कि निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) ने अपने जी आर की रिपोर्टिंग करने में आपसी सहमति से बने लाइसेंस अनुबंध की शर्तों से हट रहे हैं। लाइसेंस अनुबंध में विचारित राजस्व हिस्सेदारी को एकत्रित करने हेतु विभाग की असमर्थता का कारण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित दीर्घकालिक याचिकाएं थी। इस स्थिति में यह बताना प्रासंगिक होगा की जब सरकार ने सभी ऑपरेटरों के लिए अप्रैल 2004 से लाइसेंस फीस को दो प्रतिशत (2%) तक कम करने का निर्णय लिया, तब दूरसंचार विभाग को उम्मीद थी कि यह कमी ऑपरेटरों को सरकार के विरूद्व कानूनी याचिकाओं को वापिस लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। फिर भी, लाइसेंस फीस की दरों में कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा तथा ऑपरेटरों ने जी आर/ए जी आर एवं डिमांड नोट की परिभाषा को चुनौती देते हुए सरकार के विरूद्व

याचिकाएं डालना जारी रखा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने लाइसेंस फीस की दरों में कमी का लाभ प्राप्त किया, किंतु सरकार को याचिकाओं में कमी एवं इसके कारण निजी सेवा प्रदाताओं से पूर्ण राजस्व की प्राप्ति का पारस्परिक लाभ नहीं हुआ।

आइडिया, टाटा एवं एयरसेल से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी। (जनवरी 2016)

निष्कर्ष में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व साझेदारी प्रणाली की शुरूआत के 16 वर्शों के बाद भी भारत की समेकित निधि में राजस्व प्रचुरता (फ्लोइंग) की शुद्धता एवं सम्पूर्णता को दूरसंचार विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।